Research Paper

Volume : 2 | Issue : 10 | October 2013 • ISSN No 2277 - 8179

भारत में लैंगिक असमानता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
Bharat me Laingik Asamaantaa : Ek Samaajshashtriya Adhyayan

Sociology

KEYWORDS : शिक्षा, सेक्स, जैंडर, समाजीकरण, स्वास्थय, वेश्यावृति।

Dr. Sunil Kumar	Dept. of Sociology, Kurukshetra University, Haryana-136119.
Brijesh Sharma	Resaerch Scholar, Sociology Department, Kurukshetra University, Kurukshetra.
Saroj Devi	Resident of Sherpura, Post-Kalod, Bhibani

ABSTRACT

प्रस्तुत लघु शोध में भारतीय समाज में लिंग संबंधी असमानता के बारे में अध्ययन किया गया है। वैदिक और बौद्ध काल में महिलाओं का बहुत ही सम्मान किया जाता था जबकि मुस्लिम काल से लेकर अब तक महिलाओं के साथ असमान व्यवहार किया गया है। इसके लिए हमारा पितृसत्तात्मक समाज और उसके द्वारा किया गया समाजीकरण है, जिससे हमारे दृष्टिकोण में पुरुष सर्वोपरि है और महिला उसकी सेवक है। लेकिन अब शिक्षा के विकास के कारण इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा है क्योंकि 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है, जिससे उनमें जागरुकता आई है। सरकार द्वारा भी महिलाओं के उत्थान के लिए भी अनेक कदम उठाये है उनकों हर क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया है और महिलाओं के लिए अनेक कानून परित किये गये है। फिर भी केवल अब तक 3 प्रतिशत महिलायें ही कार्यशील क्षेत्र में विधिक, प्रबन्धन और वरिष्ठ अधिकरी के रुप में कार्य कर रही है।

भूमिका:–
वर्तमान समय में लैंगिक असमानता सम्बन्धी अध्ययन किसी राष्ट्र की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं में सम्मिलित विषय नही रहा, बल्कि यह एक अर्न्तराष्ट्रीय विषय हो गया है क्योंकि आधुनिक समय में विश्व का आकार लघु होता जा रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रियाओं ने सभी राष्ट्रों की समस्याओं को एकमत कर दिया है। इसी कारण समाजशास्त्र जैसे विषय में लिंग संबंधी असमानता एवं समस्याओं का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समाजशास्त्र इस तथ्य पर बल देता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष तथा स्त्री के मध्य विद्यमान प्राकृतिक असमानताओं का तो स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक आधार पर पुरुष एवं स्त्री में मतभेद करने का कोई औचित्य नही है। ऐसा करना मानवता तथा मानव अधिकारों की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरे विश्व में स्त्रियां यद्यपि विश्व जनसंख्या के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती है तथा संपूर्ण कार्य के दो–तिहाई भाग को पूरा करती है, परन्तु इनके पास विश्व की सम्पति का केवल दसवॉ भाग ही है।

लैंगिक असमानता का अर्थ:–
लिंग और जेडंर के भेद को स्पष्ट करना नारीवादी चिंतन का प्रमुख योगदान रहा है। सेक्स शब्द पुरुष और स्त्री के मध्य एक जैविक अर्थ की तरफ इशारा करता है जबकि जेंडर का ताल्लुक सॉस्कृतिक अर्थों से जुडा हुआ है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। यह बात कही जा सकती है कि लिंग केवल जैवकीय नहीं है क्योंकि प्रत्येक समाज में पुलिंग तथा स्त्रीलिंग के रुप में उनकी लैंगिक पहचान तथा सामाजिक भूमिकाएं समाजीकरण की प्रक्रिया से निश्चित की जाती है। इसलिए सिमॉन दे बुआ;1988द्ध ने कहा है, औरते पैदा नही की जाती, बना दी जाती है। पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाऍ एवं संस्थाऐं उन मूल्य व्यवस्थाओं एवं सॉस्कृतिक नियमों द्वारा सुदृढ होती है जो स्त्रियों की हीन भावना की धारणा को प्रचारित करती है। फेमिनिस्ट विद्वानों के अनुसार लैंगिक असमानता को स्त्री–पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्रा–पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रुप में परिभाषित किया जा सकता है।ऐलिसन जैग्गर;1988द्ध का मानना है कि सैक्स और जेडंर एक दूसरे के साथ द्वंद्वात्मक और अविभाज्य रुप से संबंधित है।

लैंगिक असमानता के प्रकार:–
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन;2001द्ध ने लैंगिक असमानता को निम्नलिखित सात रुपों में विभाजित है–

मृत्यु संबंधी असमानता– विश्व के अनेक क्षेत्रों मुख्य रुप से उतरी अफ्रीका तथा ऐशिया में स्त्रियों एवं पुरुषों में असमानता का ऐक बर्बर प्रकार सामान्यतः स्त्रियों की उच्च मृत्यु दर से देखा जा सकता है जिसके परिणामस्वरुप कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या अधिक हो जाती है।

प्रसूति संबंधी असमानता – गर्भ में ही बच्चे के लिंग को ज्ञात करने संबंधी आधुनिक तकनिकों के द्वारा यह पता लगाकर की होने वाला शिशु लडकी है गार्भपात कार दिया जाता है। अनेक देशों में, विशेष रुप से ऐशिया, चीन एवं दक्षिण कोरिया में , साथ ही साथ सिंगापुर तथा ताईवान में भी यह प्रवृति बढती जा रही हैं।

मौलिक सुविधा संबंधी असमानता – मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक देशों में लैंगिक असमानता स्पष्टतयता देखी जा सकती है। कुछ वर्ष पहले तक अफगानिस्तान में लडकियों की शिक्षा पर पाबंधी थी। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों के साथ–साथ लैटिन अमेरिका में लडकियों की तुलना में लडकों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती थी।

विशेष अवसर संबंधी असमानता– यूरोप तथा अमेरिका जैसे अत्यधिक विकसित एवं अमीर देशों के साथ–साथ अधिकांश अन्य देशों में उच्च शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण में लैंगिक असमानता स्पष्ट रुप से देखी जा सकती है।

व्यवसायिक संबंधी असमानता – व्यवसायिक असमानता भी लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। जापान जैसे देश में, जॅहा जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अन्य सभी प्रकार की मौलिक सुविधाएं प्राप्त हैं, वहॉ पर भी रोजगाार एवं व्यवसाय प्राप्त करना स्त्रियों के लिए पुरुषों की तुलना में काफी कठिन कार्य माना जाता है।

स्वामित्व संबंधी असमानता– अनेक समाजों में सम्पति पर मौलिक घरेलू एवं भूमि संबंधी स्वामित्व में भी स्त्रियॉ पुरुषों की तुलना में काफी पिछडी हुई है।

घरेलु असमानता – परिवार के अन्दर ही घर की सम्पुर्ण देखरेख से लेकर बच्चों के पालन–पोषणा का पूरा दायित्व महिलाओं का होता हैं। पुरुषों का कार्य घर से बाहर काम करना माना जाता है। यह एक ऐसा श्रम विभाजन है जो स्त्रियों को पुरुषों के अधिान कर देता है।

भारत में लैंगिक असमानता :–
भारत पुरुष प्रधान एवं पितृसतात्मक समाज है। भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों में लैंगिक असमानता निम्न रुपों में देखी जा सकती है–

लिंग भेदभावः सामाजिक अत्याचार– प्रत्येक पितृसतात्मक परिवार का सामान्य लक्षण है कि वहॉ पुरुषों की प्रधानता होती है और स्त्री का अवमूल्यन होता है। भारतीय समाज में लडकी का जन्म ही अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढापे का सहारा और घर की पूँजी है बल्कि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा है। के.एम. पाण्किर;1986द्ध ने स्पष्ट लिखा है कि हिन्दू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक हिंदू सयुक्त परिवार में स्त्री को प्रदान की जाने वाली प्रस्थिती है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था पुत्री को परिवार का भाग नही, ऐक ऐसा आभूषण मानकर चलती है जो गिरवी रखा है और जब उसका कानूनी मालिक आयेगा और उसकी मांग करेगा तो उसे दे दिया जायेगा। लडके और लडकियों के खेल, पढाई के विषय, संस्कार भी अलग अलग है। स्त्री के लिए शुचिता सबसे बडा मूल्य है जिसका अर्थ से विवाह से पहले कोई उसके शरीर को यौन की दृष्टि से स्पर्श न करे और विवाह के बाद मन, वचन और कर्म से वह पति के अतिरिक्त किसी अनय का स्पर्श न होने दे। लज्जा स्त्री का गहना होता है और पति परमेश्वर उसका आदर्श।

शिक्षा में असमानता – वैदिक युग में लडकी भी लडकों की भांति आश्रमों में शिक्षा के लिए जाती थी। धीरे–धीरे उसे शिक्षा से दूर किया जाता रहा और उसके लिए एकमात्र संस्कार विवाह ही माना जाने लगा। मुसिलम काल में तो स्त्री पूर्णतः निरक्षर थी। 2001 की जणगणओं के अनुसार यह 39.42 तथा 54.16 एवं अब की नवीन जनगणना 2011 में यह 65.46 प्रतिशत है। वास्तव में यह प्रगति नगरीय क्षेत्रों में उच्च और मध्यम वर्ग के बीच अधिक हुई है।

रोजगार में असमानता– 2009–10 में यह सहभागिता लगभग 31.2 प्रतिशत रही है। स्त्रियो का गृहस्थ कार्य अनुत्पादक माना जाता है। घर से बाहर का कार्य ही उत्पादक माना जाता है। कृषि क्षेत्र में जंहा 80 प्रतिशत् महिलाएं काम कर रही है वहीं स्त्री को पुरुष से कम मजदूरी मिल रही है। घरेलु उद्योगों में महिलाओं के लिए काम के घण्टे अधिक है और श्रम कल्याण की कोई व्यवस्था नही है। वॅहा उनके यौन शोषण का भय भी बना रहता है।

स्वास्थय एवं पोषण संबंधी सुविधाओं मे असमानता– बचपन से ही लडकीयों को वह पोषक पदार्थ नही दिये जाते जो लड़को को दिये जाते है। प्रायः घर में वही स्त्री जो अपने पति और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनाती है, बाद में जो बच जाता है उसे खाती है और अगर बासी भोजन रखा है तो पहले उसे खाती है। मातृत्व का भार भी उस पर सबसे ज्यादा होता है। एक ओर गरीब स्त्रियों को तो उचित चिकित्सा एवं पोषण मिलना ही दुश्वार है तो वहीं दुसरी ओर धनी स्त्रियां अत्यधिक दवाइयों का सेवन या आलसी जीवन एक समस्या बन गयी है। परिवार नियोजन की दृष्टि से भी हमारे समाज में इसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को ही बनाया गया है।

यौन शोषण एवं उत्पीडन – पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की प्रमुख समस्या उनका

यौन शोषण एवं यौन उत्पीडन है जैसे – वेश्यावृति, देवदासी, अश्लील साहित्य, विज्ञापन, चलचित्र, कैबरे नृत्य और छेड़–छाड़ जैसे अनेक कृत्य शामिल है। 'आनलुकर' नामक पत्रिका में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सॉसी जाति का वेश्यावृति संबंधि अध्ययन में पाया गया कि लडकिया गॉव अनपढ व गरीब युवको के साथ शादी करके गरीबी की जिंदगी बिताने से अच्छा बम्बई और पूना के वेश्यालयों में जिंदगी गुजारना अच्छा समझती है। इसके अतिरिक्त आज नग्न एवं अर्द्धनग्न महिलाओं की तस्वीरों,काम चेस्टाओं और कुत्सित किस्सों पर आधारित अश्लील साहित्य भी बाजार में धन कमाने का एक सरल साधन बन गया है। आज अधिकांश चलचित्र स्त्री के यौन शोषण के ज्वलन्त उदाहरण है।

महिलाओं के प्रति हिंसा – स्त्री के प्रति हिंसा दो रुपों में देखी जा सकती है – घरेलु तथा घर से बाहर । पहले में घर–गृहस्थी में किया जाने वाला शारिरीक और मानसिक उत्पीडन है। वे पति द्वारा मार पीट और यातना का शिकार बनती है। साामजिक दृष्टि से महिला बढा असहाय महसुस करती है क्योंकि सारा पुरुष समाज उसे, जॅहा भी जाये, उसे समझौता करने की सलाह देते है। सोनल का कहना सही है कि इस घरेलु हिंसा के विरुद्ध संगठित प्रयास किया जाना जरुरी है। देवकी ;1987द्धने घर से बाहर स्त्री के प्रति हिंसा में हिरासत की स्थिती में हिंसा, बालात्कार, यौन उत्पीडन, अश्लील साहित्य एवं विज्ञापन, वेश्यावृति तथा स्त्रियों का अनैतिक व्यापार शामिल किया है। भारत में हर दो घण्टे में एक बालात्कार की घटना घट जाती है। सविया वेगास;1987द्ध ने उचित लिखा कि 'दन्तविहिन कानून और नपुंसक जनाक्रोश' के कारण अपराधी बच निकलते है। स्त्री हत्या – सत्री हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह मॉ के गर्भ में है, या जन्म लेने के बाद स्त्री हत्या के रुप में और चाहे जलती बहु या किसी अन्य प्रकार के उत्पीडन से मारने के रुप मे है। बारबरा डी. मिलर;1987द्ध ने कहा है कि स्त्री शिशु हत्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो रुपों में हो सकती है।

निष्कर्ष :–

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते है कि भारत में लैंगिक असमानता अपनी चरम सीमा पर है। भारत के संदर्भ में धार्मिक समुदायो के निजी कानून जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकर और बच्चों के अभिभावात्मक जैसे मुद्दों पर महिलाआें के साथ भेदभाव करते है। यॅहा हर क्षेत्र में महिलाओं का शोषण किया जाता है चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो, स्वास्थय का हो या उसकी इच्छाओं का हो। लेकिन फिर भी सरकार ने इसके लिए कुछ सुझावों का प्रावधान किया है जैसे– 1959 में अनैतिक व्यापार दमन का कानून पारित करना, 1967 में समान मजदूरी कानून पारित करना, घरेलु हिंसा अधिनियम 2005, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि अनेको कानून पारित किये है। अब तो महिलाओं को हर क्षेत्र में 33 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया गया है। परन्तु फिर भी महिलाओं की स्थिति में आंशिक ही सुधार हो पाया है। इसके लिए कुछ हद तक भारतीय समाज भी जिम्मेदार है।

REFERENCE

1. Amartya Sen, "Gender: Seven Types of Inquility" in Human Right Vision, Issue No.22 December 8, 2001. | 2. Judith Butler "Gender Trouble" Routledge, New York, 1990. | 3. Alison Jaggar "Feminist Politics and Human Nature" Roman and Allanheld Sussex 1988. | 4. K.M. Panikkar, Hindu Society at Cross Roads.5. Onlooker, January 15, 1986. | 6. Devik Jain, Seminar, No. 33 March 1987. | 7. Vimal Balasubrahmanyan, Seminar, March 1987. | 8. Savia Vegas, Seminar, March 1987. | 9. Barbara D. Miller, Mainstream, vol. XXIII, No 30, March 23, 1985.10. Neena Kapoor, Seminar, No. 331, March 1987. | 11. Simone de Beauvior "The Second Sex", Picador, 1988 Part-1. |